

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड राँची।

आरोप पत्रित सरकारी सेवकों की सूची माह- जुलाई-2016 तक

क्र०सं०	निगरानी थाना काण्ड संख्या, तिथि एवं धारा	संबंधित विभाग	अभियुक्तों का नाम एवं पदनाम
1.	निगरानी थाना काण्ड सं०-40/16, दिनांक-11.05.2016, धारा-07/ 13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी), भ०नि० अधि०-1988	ट्रैप केस। 2,400/-	1. प्राथमिकी अभियुक्त खुर्शीद मियाँ (उम्र-50 वर्ष), पिता-बबून मियाँ, ग्राम-कोलगरमा, पो०-सकलडीहा, थाना-जिला-कोडरमा। सम्प्रति पंचायत सेवक, मरचोई पंचायत, प्रखण्ड-सतगाँवा, जिला-कोडरमा। 2. विनोद कुमार (उम्र-33 वर्ष), पिता-राजेन्द्र प्रसाद, ग्राम+पो०-मीरगंज, थाना-सतगाँवा, जिला-कोडरमा। सम्प्रति रोजगार सेवक, मरचोई पंचायत, प्रखण्ड-सतगाँवा, जिला-कोडरमा। दोनों अभियुक्तों पर आरोप पत्र सं०-50/16, दिनांक-04.07.2016
2.	निगरानी थाना काण्ड सं०-41/16, दिनांक-11.05.2016, धारा-07/ 13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी), भ०नि० अधि०-1988	ट्रैप केस। 4,000/-	प्राथमिकी अभियुक्त अश्विनी कुमार (उम्र-49 वर्ष), पिता-स्व० भुवनेश्वर प्रसाद, क्वार्टर सं०-एल००४/१८ क्रॉए रोड नं०-०५, एग्रिको, थाना-सिदगोड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम। स्थायी पता-ग्राम-मनोपुर, थाना-बक्सर (बिहार)। आरोप पत्र सं०-52/16, दिनांक-08.07.2016
3.	निगरानी थाना काण्ड सं०-71/15, दिनांक-08.12.15 धारा-406/420/120(बी) भा०द०वि० धारा-13(1)(डी) भ०नि० अधि०-1988	निगरानी ब्यूरो परिवार आई०आर० सं०-05/15, दिनांक-16.11.15 के जाँचोपरांत आपसी मिलीभगत कर सरकार द्वारा दी गयी मुआवजा राशि का भुगतान करने में अपने पद के दुरुपयोग कर अनुचित लाभ उठाने के आरोप में दर्ज किया गया है।	1. अप्राथमिकी अभियुक्त श्री शारदानन्द देव, झा०प्र०से०, पिता-स्व० बनारसी लाल देव, ग्राम+पो०-धर्मसाई, थाना-बटेरा, जिला-दरभंगा। वर्तमान सुधा कुटीर, कुँवर सिंह कॉलोनी मार्केट, चतरा। तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कोडरमा (सम्प्रति निलंबित)। 2. राजीव जैन, पिता-निर्मल जैन, सा०-नागेन्द्र स्टोर, बड़ा बाजार, बंशीलाल चौक, थाना-हजारीबाग सदर, जिला-हजारीबाग। सम्प्रति ब्रांच हेड, एक्सिस बैंक कोडरमा। क्रमांक-03 एवं 04 पर आरोप पत्र सं०-53/16, दि०-11.07.16
4.	निग० था० कां० सं० 24/11 दिनांक 19.09.11 धारा-406/409/467/468/109/120(बी) भा०द०वि० एव 13(2) सह पठित धारा 13(1) (डी) भ०नि० अधि०-1988	झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा गढ़वा जिला अन्तर्गत चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के आरोप में कांड दर्ज है।	1. श्री अनुराग कुमार, कनीय अभियंता, (संविदा पर) पे०-स्व० राजेन्द्र गोप, सा०-सी०एम०सी०एस० कॉलोनी पी०बी० नं०-58 थाना-सरायदेला, जिला-धनबाद। 2. श्री पवन खलखो, कनीय अभियंता, संविदा पर पे०-स्व० लक्ष्मण खलखो, ग्राम-डीबडीह, थाना-डोरण्डा, जिला-राँची। 3. मंजर खॉ, पे०-स्व० क्यामुद्दीन खान, सा०-110 बी० ब्लॉक धतकीडीह, थाना-विष्टूपुर, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम। पार्टनर मो० क्यामुद्दीन खॉ एण्ड कम्पनी, संवेदक, जमशेदपुर। आरोप पत्र सं०- 51/16 दि०-08.07.16

5.	निगरानी थाना कांड सं0-28/16, दिनांक-07.04.16 धारा- 07/13(2) सह पठित धारा- 13(1)(डी) भ्र0नि0 अधि0-1988	राजस्व विभाग। ट्रैप केस। 2,000/-	1. विजय कुमार साव, पिता-स्व0 रामदेव साव, सा0-सखिया, पोस्ट-ओरिया, थाना- मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग वर्तमान- लिपिक-सह-नाजिर अंचल कार्यालय, टाटीझरिया, जिला- हजारीबाग। आरोप पत्र सं0-54/16 दिनांक-18.07.16
6.	निगरानी थाना कांड सं0-50/16, दिनांक-15.06.16 धारा-7/13(2) भ्र0नि0 अधि0-1988	ट्रैप केस। 5,000/-	श्री अनमोल महतो, पिता-स्व0 शंकर महतो, सा0-पण्डरा, थाना-कुडू, जिला-लोहरदगा, वर्तमान पंचायत सेवक, किस्को प्रखंड खरकी पंचायत, जिला- लोहरदगा। अंतिम प्रतिवेदन सं0-55/16 दिनांक-20.07.16 साक्ष्य की कमी
7.	निगरानी थाना कांड सं0- 44/16, दिनांक- 30.05.16 धारा- 07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी) भ्र0नि0 अधि0- 1988	ट्रैप केस। 5,000/-	प्राथमिकी अभियुक्त सीताराम पासवान, (56 वर्ष), पिता-स्व0 कुलदीप पासवान, सा0- सोनवरसा टोला, थाना-सौर बजार, जिला- सहरसा (बिहार), वर्तमान सहायक अवर निरीक्षक, बरहेट थाना, जिला-साहेबगंज। आरोप पत्र सं0-56/16 दिनांक-25.07.16